सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

प.रा.वि./सी.सी.डी.यू./स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा0)राज/2014–15/3497 जयपुर दिनांक : 10.10.14

जिला प्रमुख एवं अध्यक्ष
जिला कलक्टर एवं सहअध्यक्ष
जिला स्वच्छता मिशन
जिला – समस्त

विषय :– निर्मल भारत अभियान का पुर्नगठन कर स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा0) के कियान्वयन के सम्बन्ध में ।

संदर्भ :– भारत सरकार का पत्र कमांक– डी.ओ- W11013/08/2014(Pt) dated 30 sep 2014 ।

माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 2 अक्टूबर, 2014 से निर्मल भारत अभियान को पुर्नगठित कर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का शुभारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार है :–

1. **व्यक्तिगत घरेलु शौचालय के निर्माण की इकाई लागत को रूपये 10,000/– से बढ़ाकर रूपये 12,000/–कर दिया गया है, जिसमें जल की उपलब्धता, पानी का संग्रहण, हाथ धोने एवं शौचालय के स्वच्छता की सुविधा के प्रावधान भी सम्मिलित है।**
   इसके अन्तर्गत पानी के कनेक्शन की दशा में शौचालय के छत पर पानी की टंकी एवं नल कनेक्शन एवं कनेक्शन की उपलब्धता नही होने की दशा में पानी की टंकी एवं हाथ धोने हेतु पृथक व्यवस्था टंकी के अतिरिक्त सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।
2. **केन्द्र सरकार का अंशदान रूपये 9000/–(75%) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) से वहन किया जाएगा। राज्य का अंशदान रूपये 3000/– (25 %) होगा।**
3. **इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत घरेलु शौचालय के निर्माण हेतु अलग से प्रावधान किया जाएगा। आगामी आदेशों तक मौजूदा राशि की व्यवस्था स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) के तहत ही जारी रहेगी।**
4. **आई.ई.सी. का प्रावधान कुल परियोजना लागत का 8 प्रतिशत रहेगा, जिसमें 3 % राशि भारत सरकार व 5 % राशि राज्य सरकार के द्वारा उपयोग मे ली जाएगी।**
   योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में हुए व्यय का 5 % राशि में से 1/3 राशि राज्य स्तर पर एवं 2/3 राशि मे से प्राथमिकता कम में व्यवहार परिवर्तन के उपरान्त शौचालय निर्माण किए जाने की दृष्टि से 60 प्रतिशत तक राशि अन्तर वैयक्तिक गतिविधियों (IPC) (ग्राम पंचायतों पर जारी दिशा–निर्देशानुसार प्रेरकों के नियोजन, खुले में शौच से मुक्त एवं निर्मल ग्राम पंचायत घोषित होन पर पृथक – पृथक 8000/– रूपए, एक साल तक ODF Status Sustain रहने पर 6000/– रूपए प्रति ग्राम पंचायत प्रेरकों को दिए जानेवाला एक मुश्त पारितोषिक,जिला संदर्भ व्यक्तियों द्वारा 3 दिवसीय शर्मशार यात्रा आयोजन एवं 1 दिवसीय फोलोअप कैम्प पर होनेवाला व्यय,प्रेरको को दिए जानेवाले 75 रूपये प्रति शौचालय मानदेय का भुगतान) हेतु तथा शेष 40 प्रतिशत राशि प्रशिक्षण का आयोजन,चिन्हित ग्राम पंचायतों में खुले में शौच से मुक्त प्रथम 3 माह तक स्वच्छता दिवस आयोजित करने पर अनुमत 5000 रूपये प्रति माह व्यय, SHACS Plan के अन्तर्गत IPC activities को छोड़कर अनुमोदित गतिविधियों पर व्यय किया जाना अनुमत होगा, परन्तु उपरोक्त व्यय संक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरान्त अन्तपरिर्वतनीय (Inter changable) होगा।
5. **कुल परियोजना लागत का 2 % प्रशासनिक व्यय निर्धारित किया गया है जिसमें केन्द्र व राज्य सरकार का योगदान 75:25 रहेगा।**